**Girl Workers in Match Factories in Sivakasi of TamH Nadu**

4365. SHRI RAM NATH KOVIND: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) wheiJier it is a fact that 90% of workers employed in match factories in Sivakasi in Tamil Nadu are girls;

(b) whether girls are employed in these factories inspite of legislative enactment prohibiting such employment;

(c) if so, the details of enactments which prohibits such employment; and

(d) the reasons for which such Acts have not been enforced?

THE MINISTER OF LABOUR(DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (d) Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

**उपभोक्ता मुख्य सूचकांक**

4366. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में उपभेक्ता मूल्य सूचकांक की दर 10.5 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या जानकारी है;

(ग) क्या सरकार ने इस वृद्धि के कारणों का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो वे कारण कौन-कौन से हैं तथा निर्माण वस्तुएं और आवश्यक उपभेक्ता वस्तुएं, ईधन आदि उपबेक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के लिए कहां तक जिम्मेदार हैं?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)**: (क) और (ख) औद्योगिक कर्मकारों से संबंधित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित बिन्दु आधार पर मुद्रास्फीति की दर मई, 1998, में बढ़कर 10.54 प्रतिशत हो गई है।

(घ) और (घ) मई माह 1998 के लिए आधार 1982-100 पर औद्योगिक कर्मकारों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 6.147 अंक (पूर्णांक 6) बढ़ गया और 389 पर ठहर गया। अखिल भारतीय सामान्य सूचकांक की इस वृद्धि में खाद्य समूह का सबसे बड़ा हिस्सा है। जो कि 96 प्रतिशत है और शेष 4 प्रतिशत "ईधन और प्रकाश" और "प्रकीर्ण समूहों" का हिस्सा है जो कि प्रत्येक के लिए 2 प्रतिशत है। खाद्य समूह का प्रभाव मुख्यतः शाक सब्जी और फलों की कीमतों में सामान्य वृद्धि और उसके बाद अन्य खाद्य उप-समूहों के कारण है जो कि मुख्यतः स्नैक साल्टिस, चीनी, चायपत्ती और तैयार चाय की कीमतों में वृद्धि के कारण है। तेल और बसा उप-समूह का प्रभाव मूंगफली के तेल सरसों के तेल और वनस्पति की कीमतों में वृद्धि के कारण हैं। दुग्ध और दुग्ध उत्पाद उप-समूह का प्रभाव दुध और उससे बनने वाले उत्पादों की कीमतों में बृद्धि के कारण हैं। गोश्त, सछली और अंडा उप-समूह का प्रबाव मुख्यतः देश के तटीय और आस-पास के क्षेत्रों में ताजी मछलियों की कीमतों में वृद्धि के कारण हैं। अन्न और अन्न उत्पादों के उप-समूह का प्रभाव मुख्यतः चावल और ज्वार की कीमतों में वृद्धि के कारण हैं जिसकी कीमतों में गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों में कमी आने से काफी हद तक नियंत्रण रहा। कोन्डीमेन्ट और मसाला उप-समूहों का प्रबाव मिर्ची (हरी) की कीमत में वृद्धि के कारण हैं जो कि कुछ हद तक मिर्ची (सूखी) की कीमत में कमी आने के कारण सीमित रहा। इसी तरह से उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी भारत के राज्यों में प्याज की कीमत में कमी का प्रबाव काफी हद तक देश के दक्षिणीराज्यों में इसकी कीमत में हुई वृद्धि के कारण रोक लिया गया। अखिल भारत सामान्य सूचकांक के अन्य समूह अधिकांशतः अप्रभावित है। ईधन और कीमतों में वृद्धि के कारण कम प्रबाव रहा है प्रकौर्ण समूह का प्रभाव कुछ केन्द्रों में दवाइयों, डाक्टर सेवाओं, सिलाई प्रभारी, केश तेलों, प्रसाधन साबुन और नाई प्रभारों में हुई वृद्धि के कारण रहा।

**श्रम ब्यूरो, शिमला में दैनिक वेतन पाने वाले कर्मचारी**

4367. **श्री गोविन्द राम मिरी**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो, शिमला में कई कर्मचारी पिछले 8-10 वर्षों से दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) इस समय इस ब्यूरो, में कितने कर्मचारी दैनिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या सरकार इन कर्मचारियों को विरस्ठता क्रम में नियमित करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)**: (क) तथा (ख) श्रम ब्यूरो, शिमला में कोई अनियत कामगार दैनिक मजदूरी आधार पर कार्यरत नहीं है, लेकिन 12 व्यक्ति अंशकालिक कामगार के रुप में काम कर रहे हैं। जिन्हें

घंटावार आधार पर रखा गया है तथा वे प्रतिदिन 4 से 6 घंटे काम करते हैं। उन्हें जिन तारीखों को काम पर रखा गया वे 4.11.1987 से सितम्बर 1997 के बीच पड़ती हैं।

(ग) तथा (घ) इन अंशकालिक कामगरों की सेवाओं को नियमित करने संबंधी कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है, क्योंकि वे कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 49014/4/77-स्थापना (सी) दिनांक 21.3.1979 में दी गई शर्तों को पूरी नहीं करते हैं। उन्हें भारत सरकार की अनियत श्रमिक (अस्थायीकरण तथा नियमितीकरण का दर्जा देना) योजना, 1993 जो 1.9.1993 से लागू है तथा दैनिक मजदूरी आधार पर कार्य कर रहे श्रमिकों पर लागू होती है, के तहत भी अस्थायी हैसियत नहीं दी जा सकती। इनमें से कुछ अंशकालिक कामगारों ने अनपी सेवाओं के नियमितीकरण हेतु केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरम की चंडीगढ़ खंडपीठ में अर्जी दाखिल की थी तथा माननीय अधिकरम की चंड़ीगढ़ खंडपीठ ने दिनांक 12.6.1997 के अनपे आदेश द्वारा मामले का निपटान किया था।

**बाल-श्रम के संबंध में दिशा निर्देश**

4368. **श्री जनेश्वर मिश्र**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने बाल-श्रम के संबंध में कुछ दिशा निर्देश जारी किये हैं,

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है,

(ग) क्या यह भी सच है कि राज्य सरकारें इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं कर रही हैं, और

(घ) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार उनसे दिशा निर्देशों का पालन करवाने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है?

**श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया)**: (क) और (ख) भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 10.12.96 के अपने निर्णय में जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बच्चों को कार्य से हटाने और पुनर्वासित किए जाने की रीति तथा गैर-जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले बच्चों की कार्यपरिस्थितियों की विनियमित किए जाने व उनमें सुधार किए जाने कौ रीति के बारे में में कतिपय निर्देश दिए थे। निर्णय में दिए गए महत्वपूर्ण निर्देश में कामकाजी बच्चों का सर्वेक्षण और उनकी पहचान किए जाने, बाल श्रम (प्रतिवेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के उपबंधों का उल्लंघन करके जोखिमकारी व्यवसायों में नियोजित किए गए प्रत्येक बच्चे के लिये चूककर्ता नियोजकों द्वारा 20,000/- रुपये की धनराशि (की क्षतिपूर्ति की अदायगी, ऐसे जोखिमकारी व्यवसायों से हटाए गए बच्चे के स्थान पर परिवार के एक वयस्क सदस्य को वैकल्पिक रोजगार दिया जाना, इस प्रकार हटाए गए बच्चे के लिए एक उपयुक्त संस्था में शिक्षा का प्रवाधान, बाल श्रम पुनर्वास –सह-कल्याण- निधि का स्रजन आदि शामिल है।

(ग) उचच्तम न्यायालय के निदेशों को कानूनी शक्ति प्राप्त है और सरकार इन निर्देशों को कार्यन्वित करने के लिए बाध्य है। उक्त निर्देशों के उल्लंघन का कोई भी उदाहरण सरकार की जानकारी में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**Non-Payment of P.F. Dues**

4369. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of LAffOUR be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Singer India Limited, New Delhi and Bajaj Electricals Limited, Mumbai have not been making payments of PF dues to their employees despite repeated reminders;

(b) whether these companies have been flouting provisions of EPF and Misc. Provisions Act, 1952;

(c) whether Government and Regional Provident Fund Commissioners, New Delhi and Mumbai have received a number of complaints against these companies but no action have been taken; and

(d) if so, the facts and reasons therefor?

THE MINISTER OF LABOUR(DR. SATYANARAYAN JATIYA): (a) to (d) During 1997-98, there were four complaints about non-payment of provident fund dues to the employees of M/s. Singer India Limited. Necessary action on these complaints was taken and provident fund dues have since been released to the concerned employees. As regards, M/s. Bajaj Electricals Limited, Mumbai it is reported that PF contributions are being maintained by Provident Fund Trust of the company for which it has not been formally and legally permitted as required under the E.P.F. & M.P. Act, 1952. Immediately, on detection of default by the company a criminal case u/s 406/409 of the IPC was filed in Ibe court. Subsequently, a Writ petition in the matter was filed in the High Court *dt* Mun^ai and further action is held up due to interim relief granted by the Court.